BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A NO. 649 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SHRI KRISHAN KASHYAP ...Applicant

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH ...Respondent

INDEX

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	**AFFIDAVIT ON BEHALF OF EXECUTIVE ENGINEER, HEAD WORKS DIVISION AGRA CANAL OKHLA, NEW DELHI, IN THE COMPLIANCE WITH ORDER DATED 16.08.2024.**	
2.	**ANNEXURE R1** True copy of the through Notification No.7436/I.U./XVIII-11-107 I.P., dated 28.01.1991.	
3.	**ANNEXURE R2** True copy of the letter no. 1417B-27-Sin-2-181 Flood/09, dated 16.03.2010.	
4.	**ANNEXURE R3** True copy of the letter no. 712/Stamp Clerk/2020-21, dated 17.11.2020.	
5.	**ANNEXURE R4** True copy of the minutes from the Committee meeting, dated 30.09.2020.	

THROUGH

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL OF STATE OF U.P.
NATIONAL GREEN TRIBUNAL

DATE: 28.11.2024
PLACE: NOIDA

GOVT. OF INDIA
RAKESH KAUSHAL
Area. DELHI
Regn. No 1082
Valid Up to 7-1-2026
NOTARY

28 NOV 2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A NO. 649 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SHRI KRISHAN KASHYAP **...Applicant**

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH **...Respondent**

AFFIDAVIT ON BEHALF OF EXECUTIVE ENGINEER, HEAD WORKS DIVISION AGRA CANAL OKHLA, NEW DELHI, IN THE COMPLIANCE WITH ORDER DATED 16.08.2024.

I Binod Kumar Singh aged about 45years, S/o Shri Hiraman Singh, Executive Engineer, presently at Head works division Agra Canal Okhla New Delhi, do hereby most solemnly state and affirm as under;

1. I am the Executive Engineer, Head works division Agra Canal Okhla, New Delhi and fully conversant with the facts and circumstances of the present case. I affirm that this affidavit is being filed by the Deponent in compliance of order dated 16.08.2024 of this Hon'ble Tribunal. The deponent has been authorized to file the present affidavit on behalf of Respondent No.4 Engineer in Chief, Irrigation Department, Lucknow.

2. In this Original Application, the complaint is in respect of laying underground pipeline and discharge of sewer waste of Shivam Enclave Colony, Old Haibatpur, Greater Noida in the Hindon River in violation of the environmental norms.

3. That the operative part of the order dated 05.08.2024 of this Hon'ble Tribunal has been mentioned below:

"PARA 2 Hence, having regard to the nature of issue involved in the matter, we implead the following as additional respondent in this OA: Respondent No. 4 - Engineer-In-Chief, Irrigation Department, Lucknow, State of UP.

GOVT. OF INDIA
RAKESH KAUSHAL
Area DELHI
Regn. No 1082
Valid Up to 7-1-2026
NOTARY

28 NOV 2024

PARA 3. Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate accepts notice on behalf of the newly added respondent".

4. It is respectfully submitted that through Notification No.7436/I.U./XVIII-11-107 I.P., dated 28.01.1991 the Greater Noida Authority area, where the alleged unauthorized activity is reported, falls under the jurisdiction of the Industrial Development Department.
True copy of the through Notification No.7436/I.U./XVIII-11-107 I.P., dated 28.01.1991 is attached herein as **ANNEXURE R1.**

5. It is humbly submitted that through letter no. 1417B-27-Sin-2-181 Flood/09, dated 16.03.2010, the Chief Secretary, Uttar Pradesh Government, has issued detailed instructions regarding floodplain zones along rivers, including zoning regulations and prevention of illegal constructions.
True copy of the letter no. 1417B-27-Sin-2-181 Flood/09, dated 16.03.2010 is attached herein as **ANNEXURE R2.**

6. It is germane to mention that in accordance with the notification dated 07.10.2016, issued by the Ministry of Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation, State Ganga Committees and District Ganga Committees have been entrusted with the restoration, conservation, and other related tasks for the Ganga and its tributaries.

7. It is submitted that vide letter no. 712/Stamp Clerk/2020-21, dated 17.11.2020, the District Magistrate, Gautam Budh Nagar, directed the Greater Noida Industrial Development Authority to act under Section 10 of the Uttar Pradesh Industrial Development Act, 1976, for the removal of unauthorized constructions in floodplain zones.
True copy of the letter no. 712/Stamp Clerk/2020-21, dated 17.11.2020 is attached herein as **ANNEXURE R3.**

8. It is necessary to mention that minutes from the District Disaster Management Committee meeting, dated 30.09.2020, and other relevant correspondences clearly highlight the responsibility of the Greater Noida Authority to prevent and address encroachments in their jurisdiction.
True copy of the minutes from the Committee meeting, dated 30.09.2020 is attached herein as **ANNEXURE R4.**

GOVT. OF INDIA
RAKESH KAUSHAL
Area DELHI
Regn. No 1082
Valid Up to 7-1-2026
NOTARY

28 NOV 2024

9. It is important to highlight that the responsibility for managing sewerage disposal and preventing pollution of the Hindon River lies jointly with the Namami Gange Department, Greater Noida Authority, Environment, Forest, and Climate Change Department, and Uttar Pradesh Pollution Control Board.

10. It is submitted that as per the statutory framework and government notifications, the Greater Noida Authority is responsible for addressing unauthorized constructions, while the Namami Gange Department and other environmental bodies are accountable for controlling pollution in the Hindon River. Therefore, the Irrigation Department submits that it is not the primary authority responsible for the unauthorized sewage disposal into the Hindon River. We remain committed to assisting the Hon'ble Tribunal as required.

I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at __________________ on this 28 NOV 2024 day of November, 2024, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 10 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

GOVT. OF INDIA
RAKESH KAUSHAL
Area. DELHI
Regn. No 1082
Valid Up to 7-1-2026
NOTARY

ATTESTED

Notary Public, Delhi

28 NOV 2024

ANNEXURE R1

सलंग्नक-1

ग्रेटर नोएडा विस्तार में अधिसूचित ग्रामों व तहसील की सूची का विवरण प्राधिकरण में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निम्नानुसार है।

क.सं.	विकास खण्ड	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम	अधिसूचना का विवरण
1.		दादरी, जनपद गौतमबुद्ध नगर		चिपियानाबुजुर्ग(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
2.				बिशनूली	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
3.				छपरौला(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
4.				जोन समाना(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
5.				सादोपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
6.				बादलपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
7.				मायचा(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006 अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
8.				आमका(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
9.				रूपवास(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
10.				घोड़ी बछेड़ा(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
11.				पल्ला(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
12.				अजायबपुर(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006 अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
13.				बढ़पुरा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
14.				कोट	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006

					अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
15.				नगला नैनसुख	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006 अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
16.				दादरी(नगर पालिका परिषद की सीमा को छोड़कर)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
17.				चमरावली बोड़ाकी(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग) खसरा संख्या 259 व 261 को छोड़कर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006/ अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
18.				चमरावली रामगढ़(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006 अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
19.				हजरतपुर(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
20.				चिटहैरा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
21.				कठैहरा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
22.				गुलावटी खुर्द	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
23.				चकसेनपुर उर्फ धुनवास	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
24.				उपलारसी	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
25.				मुठयानी	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
26.				औरंगाबाद	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
27.				कलौंदा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
28.				छायसा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
29.				दयानगर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
30.				खगौड़ा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
31.				ऊँचा अमीपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
32.				सीदीपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
33.				चौना	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
34.				ततारपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
35.				चकसीदीपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
36.				छौलस	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006

37.				सैथली	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
38.				खण्डेरा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
39.				मिलक खण्डेरा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006 अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
40.				नूरपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
41.				प्यावली ताजपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
42.				इरादतपुर उर्फ राजतपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
43.				आकलपुर जागीर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
44.				जैतवारपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
45.				रसूलपुर डासना	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
46.				जारचा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
47.				नगला चमरु	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006 अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
48.				खटाना धीरखेड़ा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
49.				दादूपुर खटाना	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
50.				सलारपुर कला	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
51.				बिसहड़ा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
52.				पटाडी	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
53.				तमौलीपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
54.				रानौलीपुर लतीफपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
55.				नंगला किरावनी	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
56.				महउददीपुर / नारवपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
57.				बैरंगपुर उर्फ नई वस्ती	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006 अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
58.				आनन्दपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006 अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
59.				फूलपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006 अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
60.				बम्बाबड	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006

				महावड	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
61.				कुडी खेडा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
62.				धूममानिकपुर(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
63.				इस्लामाबाद कल्दा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
64.				सादीपुर छिडौली	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
65.				रिठौरी रेलवे (आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
66.				किराचपुर (आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
67.				तिलपता (आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
68.				पाली (आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
69.				रोजा जलालपुर (आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
70.				अछेजा (आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
71.				सादुल्लापुर (आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
72.				खंडेरा गिरिराजपुर	अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
73					
1.		गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्ध नगर		राजपुर कला	अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
2.				चीरसी(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग)	अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
3.				रघुनाथपुर(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग	अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
4.				खेरली हफीजपुर(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग	अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010

5.				देवटा(आंशिक रेलवे लाइन के पूर्व भाग	अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
1.		सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर		राजारामपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006 अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
2.				जोखाबाद	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006 अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
3.				मोयामपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
4.				किशनपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
5.				नेकनामपुर उर्फ विशनपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
6.				मुरादाबाद	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
7.				पीरवियावानी	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
8.				गाजीवीरुपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
9.				बैनीपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
10.				फतेहपुर लडावास	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
11.				सनौटा	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
12.				अगवाना	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
13.				गेसपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
14.				लाठौर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
15.				भराना	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
16.				गोपालपुर	अधिसूचना संख्या 2137 / 77–4–10–214भा0–05, दिनांक 25.11.2010
1		बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर		औरंगाबाद	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
2				कुर्ली औ0	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
3				भोगपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
4				सोहनपुर	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
5				क्यामपुर औ0	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
6				भटौना ऊ.	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006
1.		गाजियाबाद जनपद		मसूरी (आंशिक–नहर के पूर्व का भाग)	अधिसूचना संख्या 3146 / LXXVII-4-2006-214 Bha-05, Dated 14.06.2006

9				9. गुलिस्तानपुर	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
10				10. हबीबपुर	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
11				11. हल्दौनी	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
12				12. इटेहरा	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
13				13. जलपुरा	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
14				14. खैड़ा चौगानपुर	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
15				15. खैरपुर गुर्जर	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
16				16. खोदना खुर्द	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
17				17. मकोड़ा	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
18				18. रामपुर जागीर	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
19				19. रसूलपुर राय	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
20				20. साकीपुर	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
21				21. सुथियाना	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
23				22. हैबतपुर	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
25				23. मलकपुर	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
27				24. सूरजपुर	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
28				25. लखनावली	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
30				26. कुलेसरा	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
32				27. भनौता	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
33				28. शहांदरा	अधिसूधना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
34				29. सुनपुरा	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
35				30. तुस्याना	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
36				31. खैड़ी	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
37				32. थापखेड़ा	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
38				33. तिलपता कनरवास	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
39				34. आमका	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
40				35. चमरावली बौड़ाकी	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
41				36. घोड़ी बछैड़ा	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
42				37. डाबरा	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
43				38. जुनपत	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
44				39. किराचपुर	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
45				40. पल्ला	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
46				41. अजायबपुर	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित
47				42. रिठौरी	अधिसूचना संख्या 7436भा.उ./XVIII-11-107भा./85 दिनॉक 28.1.1991 द्वारा अधिसूचित

संलग्नक-2

प्रेषक,

संख्या-1417बी-27-सि-2-18बाढ़/09

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. प्रमुख सचिव गृह विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन
3. प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
10. पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ
11. अध्यक्ष जल निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

सिंचाई अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2010

विषय : नदियों के बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को प्रभावी ढंग से रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आ रहे हैं कि लगातार फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं तथा इन पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो रहा है। फ्लड प्लेन में निर्माण से जहाँ एक ओर बाढ़ के समय बहाव में व्यवधान से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर निवासियों को जान-माल हानि का खतरा रहता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर शासन द्वारा आदेश जारी किये गये हैं तथा आवास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1773/9-आ-1-1995, दिनांक 18 मई, 1995 एवं शासनादेश संख्या-2432/9-आ-1 अतिक्रमण/2003 (आ.ब.), दिनांक 04 अप्रैल, 2003 में भी आदेश जारी किये गये हैं, परन्तु शासनादेशों का सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कठोरता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:

(1) महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इन क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाय। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) आर०बी०ओ० एक्ट, यू०पी० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(3) ऐसे क्षेत्र जो प्रस्तर-(1) एवं (2) से आच्छादित नहीं है, उनमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए अवैध निर्माण को रोकने के लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाये।

(4) जिलाधिकारियों द्वारा यू०पी० फ्लड इमरजेन्सी पावर (एक्वीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट--1951 का प्रभावी प्रयोग किया जाये।

(5) सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माणकारियों को सचेत किया जाय कि वह अवैध निर्माण को तुरन्त हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकारियों से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाय। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाय तो उपरोक्त उपप्रस्तर (2) तथा (3) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

(6) सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही बलपूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था का फ्लड प्लेन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

(8) फ्लड प्लेन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

(9) अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्त्ता को राशनकार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधाएं उपलब्ध न कराई जाये।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–1417बी(1)/09–27–सिं–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई यांत्रिक विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त नगर निगमों के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
11. सिंचाई अनुभाग--3, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Application No. 89 of 2013

Akash Vashishtha & Anr. Vs. Union of India & Ors.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE U.D. SALVI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. D. K. AGRAWAL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. G. K. PANDEY, EXPERT MEMBER
HON'BLE PROF. A.R. YOUSUF, EXPERT MEMBER

Present: Applicant: Mr. Amit Khemka, Advocate along with Ms. Sanorita D. Bharali, Advocate with Mr. Akash Vashishtha, Applicant in Person
Respondent No. 1: Ms. Neelam Rathore, Advocate
Respondent No. 2&3: Mr. Ardhendumauli Kumar Prasad, Advocate
Respondent No. 5: Mr. D. Rajeshwar Rao, Advocate
Respondent No. 6: Mr. Manjit Singh, Addl. AG
Respondent No. 8&11: Mr. Pankaj Pandey, Advocate
Respondent No. 9&12: Ms. Reena Singh, Advocate with Mr. Arjun Singh, Advocate
Respondent No. 10: Ms. Sushma Singh, Advocate
Respondent No. 13: Mr. Rajesh Chhabra, Advocate

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
Item No. 2 May 20, 2013	All Respondents have been served. The service on all Respondents is complete. Learned counsel appearing for the respective Respondents pray for time to file Reply. Let Replies be filed within four weeks from today with advance copy to the learned counsel appearing for the Applicant who may file Rejoinder within one week thereafter. We make it clear that no further time would be allowed to complete the pleadings. It is conceded before us by all learned counsel appearing for respective Authorities, Corporations, NCT of Delhi, State of Uttar Pradesh and State of Haryana that there are unauthorized and illegal constructions raised on the flood plain of river Yamuna. These constructions have been raised without permission of any competent authority. On the contrary, these Authorities including the Irrigation Department of State of Uttar Pradesh and other Authorities claim to have issued Notices to the persons who have raised unauthorized and illegal constructions upon the flood plain of river Yamuna, but rarely of any effect. It is an admitted position in law that construction upon flood plain area is prohibited. It not only affect the natural flow of the river but even causes environment

problems besides raising risk to human life and property.

Learned counsel appearing for the Applicant has brought to our notice the Notification dated 16th March, 2010 issued by the Chief Secretary of Uttar Pradesh to all the Authorities including the Police in the State of Uttar Pradesh to ensure that no constructions whatsoever is raised on the flood plain zone and whichever constructions have been raised should be removed. The relevant extract of the said notification state as under:-

> "It is coming to the knowledge of government that illegal constructions / encroachments are increasing in the flood plain zones and they are not being controlled. While on one hand complexities due to obstruction of natural flow of water during floods may arise from such illegal constructions, on the other hand, there is danger of loss of life and property to the residents. In this connection, orders have been given in the past from time to time and orders have also been given by Housing Division-I, UP through its government Order No. .../73/9-A-1-1995, dated 18 May, 1995 and also G.O. No. 2432/9-A-1 Encroachment/2003(AB), dated 04 April 2003 but these government orders have not been followed strictly, which is leading to a rise in the number of such illegal constructions / encroachments. Hence, upon a careful deliberation, the government has taken the following decisions :
>
> 1. Clear depiction of flood pain zones along rivers as flood affected areas in the Master Plans and to prevent any constructions in these areas, these areas should be reserved as Green. It should be ensured to ban all kinds of constructions in flood plain zones under the Zoning Regulations of the concerned cities.
>
> 2. No NOC will be granted, under the RBO Act, UP Urban Planning & Development Act 1973 and Industrial Development Act 1973, to any kind of construction inside the flood plain zone and nor will be the lay out plans of such constructions be approved. To stop such kind of illegal constructions, effective action would be taken under the provisions of the above acts.
>
> 3. Action to be taken by Irrigation Department to remove illegal- constrictions and notify the areas along canals under Section 55 of the India Canal & Drainage Act.
>
> 4. Effective use of Up Flood Emergency Powers Act by all District Magistrates.
>
> 5. Concerned officials of Irrigation Department must caution all those carrying out illegal constructions in flood plan areas of rivers to remove them off immediately and also make it clear to them

NATIONAL GREEN TRIBUNAL

that no compensation would be done by the government for any loss arising out of damages due to floods and flood safety/relief measures will not be undertaken and the cost of damage will be recovered by those carrying out/having illegal constructions.

People should remove off illegal constriction at their own will. Effective action would be taken against illegal constructors by the concerned development authorities/industrial development authorities and Nagar Palika Parishads under applicable provisions of the acts.

6. Effective action would be ensured by SSP/SPs of all districts through the Police Station Officers to check illegal constructions inside flood plain areas.

7. Strict compliance should be made for removing illegal constructions as soon they are done in flood plain areas that belong to Irrigation Department.

8. Strict, punitive action should be taken against officers/staff workers of concerned departments, after fixing their accountability, if they fail to take the expected action in the case of illegal constructions".

Despite the above Notification and the stand taken by the Authorities, NCT of Delhi and the State of Haryana, there has been mushrooming of unauthorized and illegal constructions on the flood plain zone. It is high time that these Authorities should discharge their statutory obligations in accordance with law and with greater sense of responsibility.

Despite the said Notification and specific directions issued to all the Authorities much less constructions have been stopped or/and demolished. On the contrary there has been rapid mushrooming of unauthorized and illegal constructions on the flood plain of river Yamuna.

In view of the above circumstances, we hereby issue *ad interim* injunction restraining any illegal and unauthorized construction, be it temporary or permanent, on the flood plain zone of river Yamuna in the NCT of Delhi, State of Haryana and State of Uttar Pradesh. All Authorities of the respective States including the Police, Irrigation Department, Environment Department and PWD and all the public Authorities and Corporations shall ensure that no illegal and unauthorized construction is raised upon the flood plain zone of river Yamuna. Wherever unauthorized

and illegal constructions have been raised steps should be taken to demolish the same in accordance with law.

We hereby direct the NCT of Delhi, State of Uttar Pradesh and State of Haryana to specifically file Plans/Maps showing extent of one in 25 years flood plain zones. Furthermore, they shall also state, if any of the Government Department had issued No Objection Certificate for such construction on flood plain of river Yamuna.

Complete details should be furnished along with the Reply to be filed the by respective Departments / Corporations and Authorities and by the Ministry of Water Resources.

We make it clear that the responsibility of carrying out the said directions shall be of Vice Chairman, Commissioners, Secretaries of the concerned Department and Deputy Commissioner of Police of those areas.

At the oral request of the learned counsel appearing for the parties, the Delhi Development Authority and East Municipal Corporation of Delhi are impleaded as Respondent No. 14 and 15 respectively.

The learned counsel appearing for the Applicant shall serve Dasti Notice to the said Authority and Corporation.

Similar order and injunction shall operate in regard to river Hindon as well.

List on 10th July, 2013.

..................................,CP
(Swatanter Kumar)

..................................,JM
(U.D. Salvi)

..................................,EM
(Dr. D. K. Agrawal)

..................................,EM
(Dr. G.K. Pandey)

..................................,EM
(Prof. A. R. Yousuf)

संलग्नक–3

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नौएडा।

पत्र संख्या 712/स्टाम्प लिपिक/2020–21 दिनांक 17.11.2020

विषयः– हिण्डन नदी डूब–क्षेत्र में अवैध कब्जा कर निवास कर रहे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्व विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नौएडा के पत्रांक–ग्रे.नौ./अभियन्त्रण /एस0एम0(तक0–अ0स0)/2020/75, दिनांक 24 सितम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्र संख्या–466/स्टाम्प लिपिक/2020, दिनांक 22.08.2020 के कम में हिन्डन नदी के डूब क्षेत्र के ग्रामों के प्रतिबन्धित डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण का उल्लेख करते हुए अवैध निर्माण/विस्तार कर निवास कर रहे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्व कार्यवाही कराये जाने के कम में प्राधिकरण का मत एवं सन्दर्भित नियमों की व्याख्या की गयी है, जिसके कम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

1. बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई अधिनियम(Emergence Power)1950 की धारा 3 में निम्नवत् प्राविधान किया गया है–

(1) Whenever the District Magistrate receives an application for permission to use the water of any tank, reservoir, well, water-course or other collection of water for irrigation and is satisfied that it is expedient to grant the application and grant of the permission will not adversely affect the cultivation of the person in possession of the source of supply or storage of water, he may pass an *ex parte* order granting the application and make such further order as may appear necessary for carrying out the same.

2- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision the order may provide,-

3- (i) for water rate to be paid to the person in possession by the applicant for the use of the water and the period during which it may be used;

4- (ii) for the construction of water-courses and defraying the cost of these constructions or the prohibiting or restricting or the doing of any act which may cause obstruction to water-course;

5- (iii) for any incidental and supplementary matters, which the District Magistrate thinks necessary.

उपरोक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई अधिनियम(Emergence Power)1950 की धारा 3 की शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को आपातकालीन सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदत्त है, जो किसी भी Reservoir, Well, Water- course or other collection of water से सिंचाई हेतु उत्तोलन के लिए दी गयी है जिससे उपरोक्त वर्णित जल स्रोत से सामान्यतः होने वाली सिंचाई का उपयोग नहीं किया जा सके। उपरोक्त प्राविधान से यह भी स्पष्ट है कि किसी स्वामित्व में उक्त स्रोतों के पानी को सिंचाई हेतु उत्तोलन के बदले उक्त मूल्य का भुगतान करने का भी प्राविधान किया गया है। इसका आशय यह नहीं है कि उपरोक्त सिंचाई के उद्देश्य से इतर ऐसे जल स्रोतों पर जिला मजिस्ट्रेट का प्रशासनिक नियत्रंण है। उपरोक्त प्राविधान के अनुसार सिंचाई से इतर प्रयोगों के लिए नहीं किया गया है। उपरोक्त प्राविधान में अस्थाई रूप से केवल 3 माह का आदेश करने की शक्तियाँ प्रदत्त है।

शासनादेश संख्या–1417वीं=27–सि–2–181बाढ़/09, दिनांक 16 मार्च, 2010 के बिन्दु संख्या–2 में अंकित है कि "आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट–1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंन्ट एक्ट–1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू–मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाय"। जनपद गौतमबुद्धनगर में जो भी फ्लड प्लेन जोन/डूब क्षेत्र है, वह नौएडा/ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अधिसूचित क्षेत्र में ही है। उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एक्ट–1976 की धारा 2डी में परिभाषित है कि " ..'Industrial Development Area' means an area declared as such by the State Government by notification.."

अतः फ्लड प्लेन जोन/डूब क्षेत्र भी औद्योगिक विकास क्षेत्र ही है और अन्य औद्योगिक विकास क्षेत्र की भाँति फ्लड प्लेन जोन/डूब क्षेत्र पर भी उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एक्ट–1976 तथा इसके अन्तर्गत विनियमित विनियमांवली के प्राविधान फ्लड प्लेन जोन/डूब क्षेत्र पर भी लागू होंगे। क्योंकि राज्य सरकार जो नोटिफिकेशन जारी करती है वह राजस्व ग्राम के सम्बन्ध में होता है, जिसमें फ्लड प्लेन के गाटा भी सम्मिलित होते हैं।

उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–1 में जैसा निर्दिष्ट है कि ऐसे फ्ल्ड प्लेन जोन/डूब क्षेत्र में निर्माण अनुमन्य करने हेतु महायोजना में हरित क्षेत्र के रूप में भू–उपयोग रखना चाहिए और यह कार्य नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जा सकता है। इस सम्बनध में नौएडा महायोजना 2031 के पृष्ठ संख्या–57 पर पैरा 5.11 में निम्नवत् उल्लेख किया गया है कि –

"Noida is bounded by the two embankments of river Yamuna and Hindon. Urbanisation is proposed broadly within the area between these two embankments. Development of urban activities has not been proposed in more than 5000 hectare land situated in the river front area of both the rivers because this is basically a flood effected area. The river Yamuna suffer from inadequate flow and quantum of water during majority time of the year. Rapid urbanization, encroachment on the river bank and over exploitation of water in Delhli has resulted in the dwindling of water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste

water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water through drains. However, the river Yamuna generates very high level of water flow during rainy seasons and some times due to discharge of rainy water from dams cause floods in the areas of Delhi and Noida. Conservation of flood prone area is essential. Therefore; urban activities have not been proposed in the river front areas of both the rivers. This entire area is proposed to be kept as green and open. However, it is proposed that the river front areas shall be developed for recreational and tourist activities with the provision of some temporary and removable structure on 1 percent area of a specific development projet. A detailed plan of the development of river front areas is proposed to be prepared after a detailed study of its environmental conditions and potentials of development. It is a sensitive area and needs a detailed study to understand the cycle of flood occurrence; the ground water recharge potential and requirement, potential of reclamation and the potential of making this area physically accessible and functional."

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नौएडा प्राधिकरण द्वारा फ्लड प्लेन जोन / डूब क्षेत्र का औद्योगिक विकास क्षेत्र माना है।

उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एक्ट–1976 की धारा 10 में निम्नवत् प्राविधान किया गया है कि–

If it appears to the Authority that the condition or use of any site or building is pre-judicially affecting or is likely to affect the proper planning of, or the amenities in any part of the industrial development area or the interests of the general public there, it may serve on the transferee or occupier of that site or building, a notice requiring him to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain it in such manner as may be specified therein and in case such transferee or occupier fails to take such steps or to maintain it thereafter, the Authority may itself take such steps or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier.

उपरोक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी भाग पर किसी स्थल या भवन का यदि इस तरह प्रयोग किया जा रहा हो, जो उचित ढंग से बनाई गयी योजना को प्रभावित करता है या जनसामान्य के हित को प्रभावित करता है तो प्राधिकरण ऐसे हस्तान्तरण करने वाले या स्थल का अधिपत्य करने वाले या भवन के स्वामी को नोटिस देते हुए उनसे ऐसा कार्य करने की न करने की अपेक्षा करेंगा जैसा कि नोटिस में विहित हो यदि नोटिस प्राप्त करने के बाद स्थल या भवन का स्वामी नोटिस या अंकित कार्यो को करने में विफल रहता है तो उस कार्य को स्वयं प्राधिकरण करेंगा एवं इस पर होने वाले व्यय को स्वयं वसूल कर सकता है अर्थात इस प्रकार अगर अवैधानिक निर्माण है तो उक्त नोटिस में यह बात भी अंकित की जा सकती है। जैसा कि

उपरवर्णित धारा 2डी में परिभाषित होने/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित होने के कारण जनपद गौतमबुद्धनगर के फ्लड प्लेन जोन/डूब क्षेत्र में भी उपरोक्त प्राविधान लागू होगा।

अतः यह नहीं कहा जा सकता कि जनपद गौतमबुद्धनगर के फ्लड प्लेन जोन/डूब क्षेत्र शासनादेश संख्या–1417बी–27–सि–2–[illegible]/09, दिनांक 16 मार्च, 2010 के बिन्दु संख्या–[illegible] –2 से आच्छादित नहीं है।

जहां तक उत्तर प्रदेश सिंचाई [illegible] Emergence Power/1955 की धारा [illegible] का प्रश्न है वह इस अधिनियम की धारा–3 में पारित किये गये आदेश के कियान्वयन में अवरोध उत्पन्न करने के बावत है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि धारा–3 में वर्णित जल स्त्रोतों/जलाश्यों के बारे में यदि कोई आदेश पारित न किया गया हो तो भी उसके सिंचाई के इतर निजी प्रयोग पर भी पैनाल्टी लगाई जाये।

2. जहॉ तक नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट–1873 की धारा 55 का प्रश्न है इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में कोई ऐसी सूचना प्रकाशित नहीं की गयी है और न ही कोई किसी बाधा निर्माण को प्रतिषेध करने या हटाने या रूपान्तर करने का आदेश ही दिया गया है। अतः फ्लड प्लेन जोन/डूब क्षेत्र का पूरा या आंशिक भाग अधिसूचना के अभाव में धारा 55 के प्राविधानों से आच्छादित नहीं है।

3. इस सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित शासनादेश के परिपेक्ष्य में अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड द्वारा भी अपने पत्र संख्या –2651/सिनिखगा/डूब क्षेत्र, दिनांक 08.10.2020 द्वारा किये गये कार्यो का विवरण दिया गया है, जो निम्नवत् है–

1) महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फलड प्लेन जोन का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इन क्षेत्रों का भू–उपयोग हरित रखा जाय। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में फलड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2) आर0बी0ओ0 एक्ट, यूपी0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट–1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंन्ट एक्ट 1976 के अन्तर्गत फलड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू–मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाय।

3) जो क्षेत्र प्रस्तर–1 एवं 2 से आच्छादित नहीं है। उसमें औचित्य पाने जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट–1873 की धारा–55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचना करते हुए अवैध निर्माणों को हटाने के लिए सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त तीनों प्रस्तरों से स्पष्ट है कि प्राधिकरण/निकायों के अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर नदियों के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्यवाही सिंचाई विभाग द्वारा की जायेगी। नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट–1873 की "धारा–55 के तहत सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिसूचना में परिभार्षित सीमाओं के भीतर, किसी अवरोध के निर्माण के प्रतिषेद्य कर सकेगी और ऐसी सीमा के भीतर अवरोध को हटाने या अवरोध में उपरान्तरण करने का आदेश जारी कर सकेगी"। उल्लेखनीय है कि जनपद गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद में हिण्डन एवं यमुना नदी के डूब क्षेत्र में राजस्व ग्रामों के अतिरिक्त ऐसा कोई निर्माण नहीं है, जो नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट–1873 की धारा–55 के तहत कार्यवाही अपेक्षित हो।

जनपद गौतमबुद्धनगर में हिण्डन नदी पूर्णत नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र से होकर गुजरती है अर्थात प्रभावी कार्यवाही सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा ही किये

जाने का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचराधीन एप्लीकेशन संख्या–89/2013 में पारित आदेशों में भी स्पष्ट किया गया है कि सम्वन्धित प्राधिकरण उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में आवश्यक कार्यवाही करें, जिसके अनुपालन में गौतम [illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible] गाजियाबाद एवं अन्य स्थानों पर भी डूबक्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों को रोकने हेतु समय–समय पर कार्यवाही की गयी है।

जहाँ तक उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एक्ट–1976 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–2159/77–4–10–284भ/91, दिनांक 20.12.2010 द्वारा जारी ग्रेटर नौएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन, 2010 के नियम 20.2 व 20.3 का प्रश्न है। प्राधिकरण के पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2020 में अभिलिखित है कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 में डूब क्षेत्र के बारे में परिभाषित नहीं किया गया है तथा यह भी अंकित किया गया है कि बिल्डिंग रेगूलेशन, 2020 के नियम 20.2 व 20.3 ऐसे अधिसूचित क्षेत्र पर ही लागू होगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा अर्जित करने के पश्चात किसी आबंटी को आवंटित किया हो। उक्त के सम्बन्ध में उपरोक्त विनियमावली के नियम–5.1 के प्राविधान सुसंगत है, जो इस प्रकार है :- "Every person who intends to erect a building within the Industrial Delopment area shall give application in the From givin at Appendix-1."

अतः उपरोक्त नियम से स्पष्ट है कि जो भी अधिसूचित क्षेत्र है वह अधिनियम की धारा 2डी के अनुसार औद्योगिक विकास क्षेत्र की श्रेणी में आयेगा और ऐसे औद्योगिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत यदि कोई बिल्डिंग/भवन–निर्माण करना चाहता है, तो उसको Appendix-1 के प्रारूप में आवेदन करना होगा यह अलग बात है कि नियम 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 की शर्तें वह पूर्ण करता है कि नहीं इस आधार पर प्राधिकरण को निर्णय लेना होगा यदि वह उन शर्तो को पूरा नहीं करता है, तो और उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है, तो अधिनियम की धारा 10 के प्राविधान लागू हो जायेगें एवं प्राधिकरण को धारा 10 के प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार सृजित हो जायेगा और उपरोक्त नियमावली के प्रस्तर 20.2 व 20.3 के प्राविधानों के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देशानुसार विधि संगत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अवैध अतिकमण/अवैध निर्माण दोनों अलग–अलग स्थितियां है। प्राधिकरण का तात्पर्य प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण, जो उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एक्ट–1976 एवं उसके सुसंगत विनियमावली के प्राविधानों के उल्लघंन में किया गया है, से है। कोई जमीन जिसका स्वामित्व निजी स्वामी का है अर्थात प्राधिकरण का नहीं है, वहाँ भी उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एक्ट–1976 एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन, 2010 लागू है एवं उस प्राविधान के तहत ही अवैध निर्माण हटाया जाना वांछित हैं।

शासनादेश संख्या 1417बी–27–सि–2–181 बाढ/09 दिनांक 16 मार्च, 2010 का प्रस्तर–5 निम्नवत प्राविधानित करता है कि सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माणकारियों को संचेत किया जाता है कि वह अवैध निर्माण को तुरन्त हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकारियों से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिकमणों को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाय। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाये तो उपरोक्त उपप्रस्तर 2 तथा 3 की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषद द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। इसमें

स्पष्ट किया गया है कि यदि अवैध निर्माण स्वेच्छा से न हटाया जाये तो शासनादेश के उक्त प्रस्तर 2 व 3 की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये/ सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषद द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत अवैध निर्माण करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय। जनपद गौतमबुद्धनगर में फलड प्लेन जो/डूब क्षेत्र क्योंकि नौएडा/ग्रेटर नौएडा प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र में है। अतः उपरोक्त निर्देशों के कम में सम्बन्धित औद्योगिक विकास क्षेत्र द्वारा ही कार्यवाही की जाती है. इस सम्बन्ध में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी कार्यालय ओदश संख्या–नौएडा/भूलेख/2013/4991, दिनांक 14 जून, 2013 सुसंगत है, जो निम्नवत् है:–

वर्तमान में नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र/हिण्डन –यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण की सूचनाएं समय–समय पर प्राप्त होती रहती हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 की धारा 10 में निम्नवत् प्राविधान किये गये है–

" If it appears to the Authority that the condition or use of any site or building is pre-judicially affecting or is likely to affect the proper planning of, or the amenities in any part of the industrial development area or the interests of the general public there, it may serve on the transferee or occupier of that site or building, a notice requiring him to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain it in such manner as may be specified therein and in case such transferee or occupier fails to take such steps or to maintain it thereafter, the Authority may itself take such steps or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier."

इस प्रकार हो रहे अनधिकृत निर्माणों को यदि समय रहते नहीं रोगा गया तो आने वाले समय में नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं जन–सामान्य के हित कुप्रभावित होंगे। इसलिए नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र/हिण्डन–यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को रोकने एवं अब तक हो चुके अनधिकृत निर्माण को हटाने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है:–

1. अनधिकृत निर्माण के संबंध में संबंधित भू–स्वामी/ OCCUPIER को अनधिकृत निर्माण हटाने हेतु संबंधित क्षेत्रीय तहसीलदार एवं वर्क सर्किल के परियोजना अभियन्ता अपने संयुक्त हस्ताक्षर से एक ध्वस्तीकरण नोटिस जारी करेंगे, जिसका प्रारूप इस कार्यालय आदेश के साथ संलग्न किया जा रहा है। नोटिस की प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर के साथ–साथ क्षेत्रीय उप जिला मजिस्ट्रेट एवं संबंधित प्रभारी निरीक्षक पुलिस थाना को भी की जायेगी।
2. नोटिस को संबंधित भू–स्वामी/ OCCUPIER को राजस्व अभिलेखों में अंकित उसके पते, पर स्पीड पोस्ट से प्रेषित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नोटिस की एक प्रति अनधिकृत निर्माण के स्थल पर भ नियमानुसार तामिल/चस्पा करायी जायेगी।
3. अनधिकृत निर्माण के साक्ष्य के रूप में निर्माण स्थल की एक अद्यतन फोटो भी नोटिस के साथ संलग्न की जायेगी।
4. यदि नोटिस में दी गयी समयसीमा के अन्दर अनाधिकृत निर्माण को संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता है तो यथावश्यक पुलिसबल के साथ ऐसे अनधिकृत निर्माण को

क्षेत्रीय तहसीलदार एवं वर्क सर्किल के परियोजना अभियन्ता द्वारा हटवाया/ध्वस्त कराया जायेगा। इस हेतु आवश्यक मशीनरी एवं मानव शक्ति का प्रबंध/समन्वय संबंधित वर्क सर्किल के परियोजना अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।

5. अनधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा हटाये जाने की दशा में उस पर होने वाले व्यय की [illegible]
6. अनधिकृत निर्माण हटाने में होने वाले व्यय की गणना में अनधिकृत निर्माण को हटाने में लगने वाले मानव दिवसों के यांत्रिक मशीनों/वाहनों के मानक किराये एवं अन्य कोई व्यय, यदि हो, को सम्मिलित किया जायेगा।
7. अनधिकृत निर्माण से संबंधित समस्त अभिलेख/पत्रावलियॉ संबंधित वर्क संर्किल के परियोजना अभियंता के कार्यालय की अभिरक्षा में रखी जायेगी।

उपरोक्त में अधिनियम की धारा 10 के प्राविधानों को लागू करने के लिए व्यवस्था दी गयी है, से भी स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 10 के तहत फ्लड प्लेन जोन/डूब क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही सम्बन्धित प्राधिकरणों के द्वारा की जानी है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विधिक प्राविधानों, शासकीय निर्देशों तथा स्थानीय स्तर पर प्राधिकरण के पूर्वाधिकारियों द्वारा जारी किये गये निर्देशों से स्पष्ट है कि जनपद गौतमबुद्धनगर के फ्लड प्लेन जोन/डूब क्षेत्र, जो नौएडा/ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत है एक औद्योगिक विकास क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 की धारा 10 तथा सुसंगत नौएडा/ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के बिल्डिंग रेगुलेशन के नियम–5.1, 20.2 व 20.3 के प्राविधान के अनुसार सम्बन्धित प्राधिकरण के बिना अनुमति के किये गये विकास एवं भवन निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार है। अतः अनुरोध है कि तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुहास एल.वाई.)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

पत्र व दिनांक –उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा/ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तद्नुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2– पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश दिनांक 16.03.2010 के प्रस्तर–6 के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

3– अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद/ हेडवर्क सिंचाई विभाग, ओखला, नई दिल्ली को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर–7 के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

3-12-20[illegible]

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक D-2958 / ई०ए०[illegible] दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता प्रथम/ तृतीय/ चतुर्थ/ पंचम ई० यमुना खण्ड ओखला नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-4

ANNEXURE R4

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 1056/सी0आर0ए0–आपदा प्रबंधन/2020–21 दिनांक 01 अक्टूबर 2020

कार्यालय ज्ञाप

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा–25 में दिये गये प्राविधानों के अनुरुप गौतमबुद्धनगर में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्षता में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 30.09.2020 को सम्पन्न हुई। उपरोक्त बैठक में जनपद में पूर्व में घटित आपदा सम्बन्धित घटनाओं और भविष्य में प्राकृतिक/मानव सृजित सम्भावित आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु कतिपय निर्णय लिये गये हैं। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–34 में दिये गये प्राविधानों के तहत जनपद के सम्बन्धित विभागों के लिए कतिपय अनुसंशा की गयी है जो उपरोक्त बैठक दिनांक–30.09.2020 के कार्यवृति के प्रस्तर–30 के बिन्दु ए0 और बी0 पर वर्णित है।

अतः कार्यवृति की प्रति संलग्न करते हुए सम्बन्धित को अनुपालनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप आपदा प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय एवं अनुसंशा के कम में तत्काल अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

अपर जिलाधिकारी(वि/रा)
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– अपर मुख्य सचिव, औद्यागिक एवं अवस्थापना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
02– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण, सै0–06 नोएडा।
03– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
04– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
05– पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
06– जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
07– समस्त सदस्य जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर।
08– समस्त इन्सीडेंट कमाण्डर/उपजिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
09– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड गौतमबुद्धनगर।
10– सहायक आयुक्त एवं सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प पंजीयन(प्रथम/द्वितीय) गौतमबुद्धनगर।
11– समस्त उपनिबन्धक गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वि/रा)
गौतमबुद्धनगर

जनपद गौतमबुद्धनगर में नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत तथा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब-क्षेत्र (Flood Plain Zone) में प्राधिकरणों की अनुमति एवं मानचित्र स्वीकृत कराये बिना बडे पैमाने पर हो रहे अन्धाधुंध अवैध एवं अनधिकृत बहुमंजिले भवन/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग के दृष्टिगत पूर्व में घटित मानवजनित आपदाओं एवं भविष्य में सम्भावित मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-25 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 30.09.2020 का कार्यवृत्त।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-25 में दिये गये प्राविधानों के कम में जिलाधिकारी कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1033/सी0आर0ए0/2020-21, दिनांक 29.09.2020 द्वारा पुर्नःगठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.09.2020 को अपरान्ह 01:00 बजे जिलाधिकारी, कैम्प कार्यालय, सेक्टर-27, नौएडा पर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में आहूत की गयी, जिसमें जनपद गौतमबुद्धनगर में नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत तथा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब-क्षेत्र (Flood Plain Zone) में प्राधिकरणों की अनुमति एवं मानचित्र स्वीकृत कराये बिना बडे पैमाने पर हो रहे अन्धाधुंध अवैध एवं अनधिकृत बहुमंजिले भवन/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग के दृष्टिगत पूर्व में घटित मानवजनित आपदाओं एवं भविष्य में सम्भावित मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित तथ्यों/बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया-

1- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शाहबेरी में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की अनुमति एवं भवन मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध एवं अनधिकृत तरीके से निर्मित निर्माणाधीन बहुमंजिले भवन एवं उसके समीप स्थित एक अन्य नवीन निर्मित भवन के दिनांक 17.07.2018 को अकस्मात गिरने से 08 व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। उपरोक्त घटना के कम में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के पत्र संख्या-ग्रे0नौ0/प्रोजेक्ट /वर्क सर्किल-4/2019/423, दिनांक 29.07.2019 द्वारा जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर को अवगत कराया गया था कि ग्राम शाहबेरी के क्षेत्र में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2014 के बाद भी अवैध निर्माण करने वाले सभी 431 बिल्डरों के विरूद्व एफ.आई.आर दर्ज हो एवं जिला प्रशासन द्वारा एन0एस0ए0/गैंगस्टर की कार्यवाही कर जेल भेजा जाए। प्राधिकरण की सूचना अनुसार 425 अवैध बिल्डर भवनों में 1567 परिवार रह रहे है। शेष फ्लैट/भवन को सील कराने एवं अवैध निर्माण न कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

2- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा के पत्र संख्या-ग्रे.नौ./मु.का.अ./2019/डब्लूसी-4/1619, दिनांक 30.04.2019 द्वारा जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर से अपेक्षा की गयी थी कि अधिग्रहण लम्बित होने एवं प्रश्नगत प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित के स्थगन आदेश के दृष्टिगत सभी प्रकरणों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी जावे। विशेष परिस्थितियों में कोई भी रजिस्ट्री जिलाधिकारी के लिखित अनुमति के न की जाये।

3- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक प्राधिकरण के उपरोक्तानुसार उल्लिखित पृच्छाओ के कम मे दिनांक 17.07.2018 को ग्राम शाहबेरी में कमजोर अवैध निर्माण के स्वतः ध्वस्त हो जाने के कारण घटित घटना में जान-माल की हुई क्षति के दृष्टिगत थाना बिसरख में मु0अ0सं0-586/18, धारा-304/427/288/337/338/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था। ग्राम शाहबेरी में हुए अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक 75 अभियोग पंजीकृत कराये जा चुके हैं, जिनमें 52 अभियोग की विवेचना एस0आई0टी0 के सुपुर्द की गयी तथा 23 अभियोगों की विवेचना में 03 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट तथा 18 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में 30 अभियोगों की विवेचना एस0आई0टी0 में प्रचलित है, 05 अभियोगों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रोसीडिंग स्टे किया गया है एवं 02 अभियोगों की विवेचना थाना बिसरख स्तर पर प्रचलित है। इसके

अतिरिक्त 18 गैंगस्टर अधिनियम के अभियोग के 48 अभियुक्तों व उनकी कम्पनियों के विरुद्ध पंजीकृत किये गये है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से गैंगस्टर के 02 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तथा 03 अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है 13 अभियोग विवेचनाधीन है, 02 प्रकरणों में गैंगस्टर के अतिरिक्त एन0एस0ए0 की कार्यवाही की गयी है। एन0एस0ए0 की कार्यवाही 1– डा0 सालीम उर्फ शहबुद्दीन पुत्र स्व0 महमूद नि0 लिसडी रोड मेरठ, 2– जसवीर मान पुत्र मनवीर मान नि0 216बी, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध की गयी है। गैंगस्टर अधि0 के 05 अभियोगों(69 फ्लैटस, 02 प्लॉट व 01 चार पहिया वाहन) में 14(1) की कार्यवाही की गयी है। वर्तमान में गैंगस्टर अधि0 के 08 अभियोगों(152 फ्लैट व 11 दो पहिया व चार पहिया वाहन) में 14(1) की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

4- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या–सीए/सीपी–45/2020, दिनांक 30 जून, 2020, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को सम्बोधित है, में उल्लेख किया गया है कि "ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर के संलग्न पत्र संख्या–ग्रे0नो0/प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल–1/2020/310, दिनांक 04.06.2020 के माध्यम से उ0प्र0 शासन द्वारा ग्राम शाहबेरी में अवैध रूप से 87 अर्धनिर्मित अधोमानक भवन, जिसमें कोई निवास नहीं कर रहा है, में कोई नवनिर्माण न होने पाये/नया परिवार आकर निवास न करने पाये एवं 163 भवनों को चिन्हित करते हुए सम्बन्धित बिल्डरों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत प्रापर्टी अटैच करने की कार्यवाही किये जाने हेतु ग्राम शाहबेरी स्थित पुलिस चौकी को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा 163 भवनों को चिन्हित किये जाने हेतु टीम का गठन किया गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा गठित टीम ग्राम शाहबेरी में जाकर प्राधिकरण की पास ले आउट व आई0आई0टी0 रिपोर्ट के अनुसार मिलान करते हुए 163 भवनों को चिन्हीकरण किया जाना है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट में जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु मालिकाना हक के सम्बन्ध में प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु टीम में राजस्व विभाग के तहसील दादरी के लेखपाल श्री अमित कुमार भी शामिल कराना समीचीन होगा, जिन्हें शाहबेरी गांव का पूर्व का अनुभाग प्राप्त है। उपरोक्त 163 भवनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु प्राधिकरण/प्रशासन स्तर से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।"

5- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–4, लखनऊ के पत्र संख्या–1660(1)/11–4–18–19जीएन/18, दिनांक 18.07.2018 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा एवं जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर ग्राम शाहबेरी में निर्माणाधीन भवन एवं समीप स्थित एक अन्य नवीन निर्मित भवन के अकस्मात गिरने की घटना घटित होने पर निर्देश दिये गये थे कि प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई भी अवैध निर्माण न हो। यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण संज्ञान में आए तो इसे सम्बन्धित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

6- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या–नौएडा/ भूलेख/2020/2853, दिनांक 24.07.2020 द्वारा नौएडा के डूब क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम नंगली–नगला, दौस्तपुर मंगरौली, नंगली वाजिदपुर, शाहपुर गोवर्धनपुर, असगरपुर जागीर, रोहिल्लापुर आदि में श्री दिनेश त्यागी पुत्र श्री वेदप्रकाश त्यागी नि0 ग्राम ददसिया, हरियाणा व कुलदीप शर्मा नि0 फ्लेट नम्बर–1804,टावर नम्बर–02 लोटस जिंक, सैक्टर–135 नौएडा तथा श्री यदवेन्द्र सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह हाल निवासी ग्राम नंगली–नगला, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर व मूल निवासी ग्राम करहैड़ा, जिला गाजियाबाद द्वारा अवैध रूप से फार्म हाउसों का क्रय–विक्रय बाहरी व्यक्तियों को भ्रामक जानकारी देते हुए किया जा रहा है। अवैध फार्म हाउसों पर रोक लगाने एवं पुश्ते की सुरक्षा के दृष्टिगत संबंधित के विरुद्ध कठोरात्मक, विधिवत यथा–भूमाफिया/गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही जिला प्रशासन एवं पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर से किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

7- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर ने अपने पत्र संख्या–सीए/सीपी–05/2020, अगस्त, 2020 द्वारा हिण्डन नदी का डूब क्षेत्र में जो पुस्ता ढाल से प्रारम्भ होकर ग्राम लखनावली क्षेत्र तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 10,000 है, जिसमें नदी में कभी भी जल स्तर बढ़ने पर सभी लोगों को जन–धन की हानि होने की सम्भावना है। इसलिए ऐसे स्थानों पर रह रहे लोगों द्वारा जिस प्रकार से अवैध कब्जा कर निर्माण/विस्तार किया गया है, के विरूद्व विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व विभाग एवं सिंचाई विभाग से यथावश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

8- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि जनपद–गौतमबुद्धनगर में यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र(**Flood Plain Zone**) नौएडा, ग्रेटर नौएडा व यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है, किन्तु प्राधिकरणों द्वारा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र(**Flood Plain Zone**) की भूमि पर नियोजित विकास का कार्य नहीं किया जाता है और इन डूब क्षेत्रों में स्थित भूमि के निकट तक प्राधिकरण अवस्थापनात्मक/ नियोजित विकास कार्य कराते हैं, अतएव अनधिकृत कॉलोनी/प्लाटिंग करने वाले भूमाफिया एवं भूमि की खरीद फरोख्त करने वाले तत्वों को भोली–भाली जनता को सस्ते प्लाट का झाँसा देकर ठगी करने का अवसर प्राप्त होना स्वाभाविक है क्योंकि ऐसी डूब क्षेत्र की भूमि के निकट तक प्राधिकरणों के पहुँच मार्ग उपलब्ध रहते हैं, इसलिए अनधिकृत एवं अवैध कोलोनाइजेशन/प्लाटिंग/निर्माण की प्रवृति तेजी से बढ़ती जा रही है। यद्यपि प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर ऐसे अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती रहती है, परन्तु इसके बावजूद भी इस पर पूर्णविराम लगाना सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जनपद–गौतमबुद्धनगर में सस्ती आवास सुविधा के लालच में आम जनमानस डूब क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा फैलाए जा रहे अवैध एवं अनधिकृत कोलोनाइजेशन/प्लाटिंग के जाल में आसानी से फंस जाता है। विगत कई वर्षों से यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब–क्षेत्र में हुए अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण कार्यों के मानव सृजित आपदा के रूप में जनधन की क्षति के प्रतिकूल स्थिति के उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है।

9- इस संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद के पत्र संख्या-3366/सिंचाई/जी, दिनाँक 29.12.2017 में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद-गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में भू माफियाओं द्वारा अवैध/अनधिकृत कोलोनाइजेशन/ प्लाटिंग करके हिण्डन एवं यमुना नदी के प्रवाह (नदी की धारा) तक स्थायी मकान व व्यवसायिक उद्देश्य से दुकान आदि के रूप में स्थायी निर्माण कर लिये गये हैं, जिससे वहाँ पर आबादी नदी की पानी की धारा तक पहुँच गयी है, जिससे हिण्डन एवं यमुना नदी का बैक-फ्लो एवं वर्षा के समय अधिक पानी की मात्रा आने पर बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहेगा। जैसाकि वर्ष 2013 के जून माह में उत्तराखण्ड में हुई मूसलाधार वर्षा ने नदी के साथ बसी आबादी में भारी तबाही मचाई थी तथा इसी तरह वर्ष 2014 में जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ आने से नदी के डूब क्षेत्र में बसे ग्रामों व शहरी क्षेत्र में जन-धन की व्यापक क्षति हुई थी। हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में किये जा रहे अनियोजित, अनधिकृत एवं अवैध निर्माण के मानव सृजित कारणों से आपदाओं की विषम स्थिति में बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि की प्रबल सम्भावना है।

10- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में अनियोजित विकास होने से उन इलाकों में मलिन बस्तियाँ बढ़ जाएँगी, जिनमें वांछित अवस्थापना एवं नागरिक सुविधाओं का अत्यन्त अभाव होना स्वाभाविक है। इसके साथ डूब क्षेत्र में कराये जा रहे अनियोजित/अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों से ग्रीन कवर कम होता जा रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों में भू माफिया तत्व भू सम्पत्तियों के अवैध कारोबार को

गलत ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें भोले-भाले निर्दोष लोगों को आपदा की विषम स्थिति में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही आपदा प्राधिकरण के सदस्य मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गौतमबुद्धनगर भूकम्पीय गतिविधियों की दृष्टि से सीज़्मिक जोन-IV में स्थित है और अधिसूचित क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत न कराने के कारण बहुमंजिली इमारतों में भूकम्परोधी तकनीकी का पालन नहीं किये जाने की सम्भावना है, जिससे भविष्य में किसी आपदा के आने पर बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है।

11- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि प्राधिकरणों के महायोजना में हिण्डन एवं नदियों के डूब क्षेत्र की भूमि को रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट के रूप में नियोजित किया गया है। जैसे कि नौएडा महायोजना-2031 में उपरोक्त नदियों के डूब क्षेत्र की भूमि को रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट के रूप में नियोजित करने के संबंध में निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं-

"Noida is bounded by the two embankments of river Yamuna and Hindon. Urbanisation is proposed b roadly within the area between these two embankments. Development of urban activities has not been proposed in more than 5000 hectare land situated in the river front area of both the rivers because this is basically a flood effected area. The river Yamuna suffer from inadequate flow and quantum of water during majority time of the year. Rapid urbanization, encroachment on the river bank and over exploitation of water in Delhi has resulted in the dwindling of water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water through drains. However, the river Yamuna generates very high level of water flow during rainy seasons and some times due to discharge of rainy water from dams cause floods in the areas of Delhi and Noida. Conservation of flood prone area is essential. Therefore, urban activities have not been proposed in the river front areas of both the rivers. This entire area is proposed to be kept as green and open. However, it is proposed that the river front areas shall be developed for recreational and tourist activities with the provision of some temporary and removable structure on 1 percent area of a specific development projet. A detailed plan of the development of river front areas is proposed to be prepared after a detailed study of its environmental conditions and potentials of development. It is a sensitive area and needs a detailed study to understand the cycle of flood occurrence, the ground water recharge potential and requirement, potential of reclamation and the potential of making this area physically accessible and functional."

12- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि जनपद-गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत यमुना एवं हिण्डन नदियों का डूब क्षेत्र नौएडा, ग्रेटर नौएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का नियंत्रण प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में ही है और इस सम्पूर्ण क्षेत्र का सभी प्रकार के विकास एवं रख-रखाव के दायित्व का निर्वहन भी तीनों प्राधिकरणों द्वारा किया जा रहा है।

13- इस संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Application no 89/2013, आकाश वशिष्ट एवं अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20, मई 2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र में अस्थाई एवं स्थायी प्रकृति के अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों को रोकने हेतु आदेश पारित किये गये है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 मई, 2013 का सारवान अंश निम्नवत है:-

"....It is conceded before us by all learned counsel appearing for respective Authorities, Corporations, NCT of Delhi, State of Uttar Pradesh and State of Haryana that there are

unauthorized and illegal constructions raised on the flood plain of river Yamuna. These constructions have been raised without permission of any competent authority. On the contrary, these Authorities including the Irrigation Department of State of Uttar Pradesh and other Authorities claim to have issued Notices to the persons who have raised unauthorized and illegal constructions upon the flood plain of river Yamuna, but rarely of any effect.

It is an admitted position in law that construction upon flood plain area is prohibited. It not only affect the natural flow of the river *but even causes environment problems besides raising risk to human life and property.*

In view of the above circumstances, we hereby issue ad interim injunction restraining any illegal and unauthorized construction, be it temporary or permanent, on the flood plain zone of river Yamuna in the NCT of Delhi, State of Haryana and State of Uttar Pradesh. All Authorities of the respective States including the Police, Irrigation Department, Environment Department and PWD and all the public Authorities and Corporations shall ensure that no illegal and unauthorized construction is raised upon the flood plain zone of river Yamuna. Wherever unauthorized and illegal constructions have been raised steps should be taken to demolish the same in accordance with law.

We hereby direct the NCT of Delhi, State of Uttar Pradesh and State of Haryana to specifically file Plans/Maps showing extent of one in 25 years flood plain zones. ________"

14- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-5188/2011, मूल चन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनाँक 26.04.2016 को आदेश पारित किया गया है, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है-

"......Once there is nothing on record to demonstrate that constructions have been carried out after map has been sanctioned then this Court cannot come to the rescue and reprieve of the petitioner and writ of mandamus cannot be issued by this Court directing the respondents not to demolish any constructions over the land in dispute i.e. residential house of the petitioners in their land situated at village Mamura district Gautam Buddha Nagar. Even if the land was not acquired by the State, the constructions were raised without seeking permission and the petitioner will have no right to claim any protection for such illegal constructions."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से स्पतः स्पष्ट है कि अवैध निर्माण का विधिक स्वरूप आरम्भतः शून्य(void ab initio) है।

15- इस संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1417बी(1) 09-27-सि-02-18/वाद दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव, सिंचाई के पत्र दिनाँक 19.09.2012 एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन स्तर पर हुई बैठक दिनाँक 20.06.2013 के अनुक्रम में जारी कार्यवृत्त दिनाँक 27.06.2013 में दिये गये दिशा निर्देशों से स्पष्ट हुआ कि जनपद-गौतमबुद्धनगर में प्राधिकरणों के अधिसूचित

क्षेत्र के अंतर्गत स्थित डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में होने वाले अवैध एवं अनधिकृत निर्माण क्षेत्र के विरूद्ध कार्यवाही हेतु तीनों प्राधिकरणों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

16- इसके अतिरिक्त प्रश्नगत मामले में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि नदी के डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का **अनधिकृत निर्माण** अनुमन्य नहीं है। इस संबंध में विशेष सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-5923(1) एफ-9-21सि.-6/बाढ़/71 दिनांक 03.02.1992 तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयुक्त एवं प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं अन्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-1417बी (1) 09-27-सि0-2-18/बाद दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या-1560/12-27-सि0-3-43एल/08टी0सी0, दिनांक 19.09.2012 के द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या-1560/12-27-सि-3-43एल/08टी0सी0, दिनांक 19.09.2012:-

"............जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के उक्त पत्र द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए 319 फार्म हाऊस 124.437 हे0 में बनाये गये हैं। कतिपय प्रकरणों में जिला पंचायत द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने एवं सिंचाई विभाग की अनापत्ति भी जारी की गयी हैं। प्रकरण अत्यन्त गंभीर है। ऐसी स्थिति में उक्त डूब क्षेत्र में बनाए गए अवैध फार्म हाऊस/अतिक्रमण तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा प्रकरण में अन्तर्गस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण न होने पाए। यदि उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण होता है तो संबंधित स्थानीय अधिकारी/कर्मचारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी........... "

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

"......... यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नौएडा, ग्रेटर नौएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह घटित हुए है, की है।..........."

17- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि अवैध निर्माणों को गिराने तथा नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2(घ), 6(छ), 9(1) व 10 में निम्नवत् प्राविधान किया गया है:-

2(घ)- "औद्योगिक विकास क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित करें।

6(छ)- भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना;

9(1)– कोई व्यक्ति, उपधारा(2) के अधीन बनाये गये किसी भवन सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन करके औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या अध्यासन नहीं करेगा।

10 – यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी स्थल या भवन की दशा या उपयोग से औद्योगिक विकास क्षेत्र के किसी भाग के समुचित आयोजन पर या सुविधा पर या वहां सामान्य जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है या पडने की सम्भावना है तो वह उस स्थल या भवन के अन्तरिती या अध्यासी पर नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर करें, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट हो और यदि उसके पश्चात ऐसा अन्तरिती या अध्यासी ऐसी कार्यवाही करने या उसका अनुरक्षण करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी स्वयं ऐसी कार्यवाही कर सकता है या उसका अनुरक्षण कर सकता है और उस पर उपगत व्यय ऐसे अन्तरिती या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

18- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या– 2159/77–4–10–284म/91 दिनांक 20.12.2010 द्वारा जारी ग्रेटर नोएडा इडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन, 2010 के नियम 20.2 व 20.3 के संबंध में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं–

20.2 "असुरक्षित भवन" असुरक्षित भवन वे भवन है, जो संरचात्मक रूप से असुरक्षित हैं तथा अस्वास्थ्यकर है या जिनमें निकास के पर्याप्त साधन न हो या जिनमें आग लगने का खतरा हो या जो मानवजीवन के लिए अन्यथा रूप से खतरनाक हो या जो विद्यमान उपयोग के सम्बन्ध में अपर्याप्त अनुरक्षण, जीर्णशीर्णता या निषिद्धता के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य या लोककल्याण के प्रति संकटकारी हो गये हों।

20.3 "अनधिकृत विकास– अनाधिकृत विकास के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी–

(अ) ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा जिसमें अनाधिकृत निर्माणों को ढहाया जाना, परिसरों का बन्द किया जाना तथा प्रवृत्त संगत अधिनियमों के अनुसरण में अपराधियों के विरुद्ध अभियोग चलाया जाना एवं दण्डिक कार्यवाहियां किया जाना सम्मिलित है।

(ब) संबंधित तकनीकी व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगा।"

19- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या– 2213/77–4–10–158एन/85, दिनांक 30.11.2010 द्वारा जारी नवीन ओखला विकास क्षेत्र भवन विनियमावली–2010 के नियम 20.2 व 20.3 में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं–

20.2 "असुरक्षित भवन" असुरक्षित भवन वे भवन है, जो संरचात्मक रूप से असुरक्षित है तथा अस्वास्थ्यकर है या जिनमें निकास के पर्याप्त साधन न हो या जिनमें आग लगने का खतरा हो या जो मानवजीवन के लिए अन्यथा रूप से खतरनाक हो या जो विद्यमान उपयोग के सम्बन्ध में अपर्याप्त अनुरक्षण, जीर्णशीर्णता या निषिद्धता के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य या लोककल्याण के प्रति संकटकारी हो गये हों।

20.3 "अनधिकृत विकास–अनाधिकृत विकास के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी–

(अ) ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा जिसमें अनाधिकृत निर्माणों को ढहाया जाना, परिसरों का बन्द किया जाना तथा प्रवृत्त संगत अधिनियमों के अनुसरण में अपराधियों के विरुद्ध अभियोग चलाया जाना एवं दण्डिक कार्यवाहियां किया जाना सम्मिलित है।

(ब) संबंधित तकनीकी व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगा।"

20- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि THE NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA BUILDING REGULATION, 2010 के नियम 24.1 में निम्नवत् प्राविधान स्थापित किये गये हैं:–

24.1 Residential Buildings on plots (other than flatted group housing)

(1) Ground coverage, Floor Area Ratio, height and setbacks shall be as per Table-I appended to these regulations. However, the set back shall be applicable as per regulations prevailing at the time of initial allotment of sector.

(2) Other provisions:

(i) The directions of side, rear set back and gate shall be as per the Setback/ Layout Plan and directions prepared by the Authority from time to time.

(ii) In case of plots being amalgamated with the approval of the Authority, the set back lines in front and adjoining property are to be followed as per Setback Plan.

(iii) Subdivision of individual residential plot or building constructed on it shall not be allowed.

(iv) Only two dwelling units and a servant quarter shall be allowed upto a plot size of 100sqmtrs. For plots above 100 sqmtrs and upto 500sqmtrs maximum three dwelling units shall be allowed. For plots above 500 sqmtrs. maximum four 18 dwelling units shall be allowed. In density calculation 4.5 person per dwelling unit shall be considered in all kind of residential plots. Each servant quarter shall be counted as half dwelling unit.

(v) Stilt parking shall be allowed upto maximum height of 2.4 mtrs upto bottom of beam free from FAR for plot size of 112 sq mtrs and above. However, in case stilt is not provided, parking may be allowed in the setbacks.

(vi) No construction of any kind shall be permitted beyond the building envelope (on set backs) except:—

(a) A chajja (projection) of maximum width of 0.75 metres at lintel or rooflevel. No construction of any type shall be permitted over such projections.

(b) Underground water tanks with top flush with the adjoining ground level.

(c) In plots of 200 square metre and above, if required, a temporary guard room of porta cabin 1.5 metre x 1.5 metre shall be permitted after approval by the Authority.

TABLE o. 1 (See regulation 24.1)

Ground Coverage, FAR and Setbacks in Residential Plots

S.No	Size of Plot(Sqmtr.)	Ground Coverage(In %age)	Front Setback(Mtr.)	Rear Setback (Mtr.)	Side Setback (Mtr.)	Maximum FAR
1	Upto 50.0	75	1.5	1.5	-	1.8
2	51 to 75	75	1.5	2.0	-	1.8
3	76 to 120	75	2.0	2.4	-	1.8
4	121 to 200	75	3.0	2.4	-	1.8
5	201 to 300	75	3.5	3.0	-	1.8
6	301 to 400	65	4.0	3.0	3.0	1.8
7	401 to 500	65	4.5	3.5	3.0	1.8
8	501 to 750	60	5.0	3.5	3.0	1.5

(i) Maximum building height in all size of plots shall be 15 Metres.

(ii) Total height shall be counted from top of drain to top of building without exception.

(iii) In case the permissible ground coverage is not achieved within setbacks, the setbacks of the preceding category may be followed. In special cases where ground coverage is not achieved in the preceding category also, then Chief Executive Officer may relax the setbacks to the extent he considers fit.

(iv) In the Residential Plots with in the permissible FAR and Ground Coverage equivalent of 40 % area of rear Set Back construction shall be allowed on either side/both side in the rear set back.

21- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन(चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2016 के अध्याय–नौ में प्राविधान है कि-

प्राधिकरण की ग्रामीण सम्पत्तियों का प्रबन्धन

30.0 **ग्रामीण आबादी में भवन निर्माण:**– इस विनियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण(नौएडा) में अधिसूचित ग्रामीण आबादी का क्षेत्रफल प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में ग्रामीण आबादी की अवधारण के लिए मानदण्ड निम्नवत् होंगे:–

1. अधिसूचित नौएडा महायोजना–2031 के "विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र" में दर्शायी गयी ग्रामीण आबादी का चित्रण।
2. नौएडा महायोजना–2031 के "विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र" में दिये गये उपबंध के आलोक में मानचित्र स्वीकृति हेतु भू–उपयोग की छानबीन व संवीक्षा की जानी चाहिए।
3. मानचित्र की स्वीकृति पर विचार करने से पूर्व उपरोक्त संख्या–1 व 2 के मानदण्डों का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जाना चाहिए तथापित उपरोक्त के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिहित समिति में नियोजन, भूलेख, अभियान्त्रिकी, विधि तथा वित्त विभाग के संबंधित पदाधिकारी और जिला गौतमबुद्धनगर के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। उक्त समिति को इस सीमा तक यह सुनिश्चित करने और पता लगाने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना चाहिए कि प्रस्तुत मानचित्र उपरोक्त मानदण्ड संख्या–1 एवं 2 में निर्दिष्ट ग्रामीण आबादी से संबंधित हो।
4. उपरोक्त मानदण्ड–3 में निर्दिष्ट समिति को प्रस्तुत किये गये मानचित्र के संबंध में निर्दिष्ट आबादी भूमि के पूर्ण और वादमुक्त हक/स्वामित्व/कब्जा की संवीक्षा भी करनी चाहिए।

30.1 सेटबेक

भूखण्ड का आकार	अग्र सेटबेक	पृष्ठ सेटबेक	कोने के भूखण्ड हेतु पार्श्व सेटबेक
200 वर्ग मी0 तक	2.0मी0	—	1.2मी0
201 से 500 वर्ग मी0	3.0मी0	—	1.2मी0
500 से 1000 वर्ग मी0	4.5मी0	3.0मी0	3.0मी0
1001 से 2000 वर्ग मी0	10.0मी0	4.5मी0	4.5मी0
2001 से 4000 वर्ग मी0	12.0मी0	6.0मी0	6.0मी0
4000 वर्ग मी0 से अधिक	15.0मी0	6.0मी0	6.0मी0

*500 वर्ग मी0 से अधिक आकार के सभी भूखण्डों के दोनों ओर पार्श्व सेटबेक प्रयोज्य होंगे(कोने के भूखण्ड सहित)।

30.2 भू–आच्छादन एवं फर्श क्षेत्रफल अनुपात

भूखण्ड का आकार	अधिकतम अनुमन्य भू–आच्छादन	अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात (मी0)
200 वर्ग मी0 तक	80%	1.8
201 से 500 वर्ग मी0	75%	1.8
500 से 1000 वर्ग मी0	70%	1.8
1001 से 2000 वर्ग मी0	65%	1.8
2001 से 4000 वर्ग मी0	60%	1.8
4000 वर्ग मी0 से अधिक	55%	1.8

30.3 ऊँचाई

अधिकतम ऊँचाई 15.0 मीटर

टिप्पणी– जहां अपेक्षित सेटबैक छोड़ने के पश्चात् दोनों ओर आबादी वाला भूखण्ड विद्यमान हो वहां 2.0 मी. स्थल सेटबैक छोड़ने के पश्चात भवन की सीमा के अन्तर्गत भू–गेह की अनुमति प्रदान की जायेगी। भू–गेह(फर्श से छत तक) की आन्तरिक ऊँचाई न्यूनतम–2.4मी. और अधिकतम 4.0 मी. होगी और इसक उपयोग पार्किंग और भण्डारण के लिए ही किया जायेगा।

22- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध एवं अनधिकृत ढंग से ग्राम–शाहबेरी में निर्मित बहुमंजिले भवन के अकस्मात गिरने से घटित घटना से मानवजनित हुई आपदा के कारण जनधन की क्षति और हिण्डन एवं नदियों के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध एवं अनधिकृत निर्माण/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग के संबंध में शासन के विभिन्न स्तरों से निर्गत निर्देशों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा/नौएडा एवं पुलिस आयुक्त के पत्रों से दो प्रकार की स्थितियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं–

(i) जहाँ एक ओर ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम–शाहबेरी में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के कारण, जो घटना घटित हुई थी, वह मानव सृजित आपदा की श्रेणी में आती है, जिसमें जानमाल का नुकसान भारी मात्रा में हुआ था, वहीं दूसरी ओर हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में हो रहे अनियंत्रित अवैध एवं अनधिकृत कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग/निर्माण, जो उपरोक्तानुसार उल्लिखित मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के विरूद्ध भी किये गये हैं, के कारण न केवल मानवजनित आपदा भविष्य मे सम्भावित है बल्कि इस मानवजनित अवैध एवं अनधिकृत कृत्य के कारण भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की भी सम्भावना बलवती रहेगी, जिसके कारण व्यापक पैमाने पर जनधन की क्षति सम्भावित है, इसलिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा ऐसी सम्भावित मानवजनित/प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत जनधन की क्षति को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब विचार किया जाना प्रासंगिक होगा।

(ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा के पत्र दिनांक 30.04.2020 के अन्तिम प्रस्तर के बिन्दु संख्या–1 में अपेक्षा की गयी है कि चूँकि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध व अनधिकृत निर्माणों के नही रूकने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब ऐसे अवैध/अनधिकृत निर्माणों से संबंधित भवनों/फ्लेटस के विक्रय पत्रों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी जाये।

(iii) इस संबंध में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की जो विनियमावली भी बनाई गयी है, जिसमें स्वतः स्पष्ट प्राविधान है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की अनुमति के बिना उनके अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण की कार्यवाही नहीं हो सकती है अर्थात यह एक mandatory प्राविधान है।

(iv) उक्त प्राविधानों के दृष्टिगत जहाँ एक ओर न केवल भवन नियमावली का उल्लंघन करते हुए किये जाने वाले अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को रोका जाना आवश्यक है वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के भवन नियमावली का उल्लंघन करते हुए एवं डूब–क्षेत्र में सैद्धान्तिक रूप से आवासीय गतिविधियाँ अनुमन्य न होने बाबजूद आवासीय उद्देश्य से अवैध एवं अनधिकृत ढंग से की जाने वाली कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग/निर्माण को भविष्य में मानवजनित/प्राकृतिक जनित आपदाओं की सम्भावनाओं के दृष्टिगत जन धन की क्षति को बचाने के लिए न केवल अवैध एवं अनधिकृत निर्माण बल्कि इस प्रकार के निर्माण की उत्पत्ति के श्रोत क्रय–विक्रय को भी नियंत्रित किया जाना समीचीन होगा, ताकि भविष्य में किसी मानवजनित/प्राकृतिकजनित आपदा के कारण जन धन की क्षति की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।

23- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यमुना एवं हिण्डन नदियों डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के फलस्वरूप सम्भावित मानव/प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली जन धन की क्षति को ध्यान में रखते हुए क्रय–विक्रय को नियंत्रित करने हेतु ऐसे विक्रय दस्तावेजों को निबन्धन के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के साथ कार्यालय आदेश संख्या–627 (1–10)

एस0टी0—डी0एम0 / 2019, दिनाँक 20.06.2019 निर्गत किया गया था, जिसमें निम्नवत उपबन्ध स्थापित किये गये थे—

"....पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जन-धन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के लिये डूब क्षेत्र में आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित विलेखों के निबन्धन हेतु प्रस्तुतिकरण के समय मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0 1417बी-27-सि0-2-81/बाढ़/09, दिनाँक 16.03.2010 क्रेता पक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र सम्बन्धित उप निबन्धक द्वारा प्रश्नगत आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) के विलेख को निबन्धन हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा-

1— सिंचाई विभाग, द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र कि प्रश्नगत विक्रीत आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) पर निर्माण किया जाना अनुमन्य होगा।

2- सम्बन्धित प्राधिकरण (नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र कि प्रश्नगत विक्रीत आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) का भू-मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त शर्तों को पूर्ण होने के उपरान्त ही सम्बन्धित उप निबन्धक द्वारा यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब-क्षेत्र में आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) के विलेख को पंजीकरण हेतु स्वीकार किया जाएगा..."

24- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अवमानना वाद संख्या—6320 / 2019 श्रीमती राजन यादव बनाम श्री ब्रजेश नारायन सिंह, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर योजित की गई थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रमशः दिनाँक 18.11.2019 व 05.12.2019 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया था—

Order dated on 18-11-2019

"....In the instructions dated 1.11.2019, the respondent has admitted that he has flouted the writ court order by restraining the Registrar, Registration from registering the transfer/sale deed. In view thereof, the respondent-Sri Brijesh Narain Singh, District Magistrate, Gautam Budh Nagar, shall show cause as to why charge may not be framed under the Contempt of Courts Act. List on 5 December 2019."

Order dated on 05-12-2019

".....Shri Sudhanshu Srivastava, learned counsel appearing for the opposite party submits that the order dated 20 June 2019, restraining the public to get the sale deed registered has been withdrawn vide order dated 5 December 2019. The report of the Sub Divisional Magistrate, Dadri, Gautam Buddh Nagar, dated 24 November 2019, has been placed on record, wherein, it has been noted that the owner/ purchaser of the land have raised constructions in violation of the writ court order without obtaining approval from the concerned local bodies or development authorities..."

25- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 70786 / 2011 श्रीमती राजन यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 08.03.2013 को पारित आदेश के कम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उक्त अवमानना वाद योजित किया गया था। याचिका संख्या 70786 / 2011 श्रीमती राजन यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2013 का सारवान अंश निम्नवत् है—

(A) "......For the aforesaid reasons, the writ petition is allowed. The order of the District Magistrate dated 20.5.2011 placing restriction on transfer of property by the owners of the land in the area between River Hindan and the embankments constructed by the Irrigation Department, is set aside. The petitioners will be free to execute the agreement or transfer deeds, which will be registered by the registration authorities in accordance with law. The petitioners or the purchasers will, however, not raise any constructions, except after obtaining approval from the concerned local bodies or development authorities. Costs are made easy........"

It is clear from the above Hon'ble Allahabad High Court order which envisaged that person buying property in "area under consideration" shall seek permission and approval from competant authorities before raising any construction.Order of Hon'ble High Court with regards to seeking permission from competent authorities has been repeatedly violated by persons buying properties. Also it's clear from the records placed before this committee, misuse of liberal interpretation of right to property has resulted in organised crime of illegal colonization, which in turn has resulted in "disaster" of huge proportions.

(B) "......Art.300-A of the Constitution of India provides that no person shall be deprived of his property saved by authority of law. The right to hold property, which include right to sale the property, ceased to be a fundamental right, when it was transposed from Part-III to Part-XII and inserted as Chapter-IV by 10 Constitution (44th Amendment) Act, 1978, w.e.f. 20.6.1979. It is now a constitutional right vide Zilubhai Nanbhai Khachar v. State of Gujarat, 1995 Supp. (1) SCC 596, subject to restrain and regulations by the State vide State of Bihar v. Project Uchcha Vidya Shikshak Sangh, (2006) 2 SCC 545. The restrain and regulations, however, it was held must be fair and reasonable and should not violate the fundamental rights guaranteed in Part-III of the Constitution of India......"

In light of facts discussed above restrictions being placed are not only fair and reasonable, but infact try to protect fundamental right namely right to life Hon'ble S.C has repeatedly held "Extraordinary circumstances require extraordinory measures." In such circumstances considering the facts placed before us, necessary steps must be taken to prevent disaster and loss of life and property.

26- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम – 2005 की धारा–2(d) में आपदा को निम्नवत् परिभाषित किया गया है–

> "Disaster" means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area;

27- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम–2005 की धारा–30, जिसमें जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कर्तव्य एवं शक्तियाँ निम्नवत् परिभाषित है:–

2(xx) Coordinate with, and give guidelines to, local authorities in the district to ensure that measures for the prevention or mitigation of threatening disaster situation or disaster in the district are carried out promptly and effectively;

2(xxii) Review development plans prepared by the Departments of the Government at the district level, statutory authorities or local authorities with a view to make necessary provisions therein for prevention of disaster or mitigation;

2(xxiii) Examine the construction in any area in the district and, if it is of the opinion that the standards for the prevention of disaster or mitigation laid down for such construction is not being or has not been followed, may direct the concerned authority to take such action as may be necessary to secure compliance of such standards;

28- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम–2005 की धारा–34 में सम्भावित आपदा की स्थिति होने की दशा में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कर्तव्य एवं शक्तियां निम्नवत परिभाषित है: –

"Recommend to any Department of the Government of the State or any authority or body under that Government at the district level to take such measures as are necessary in its opinion;"

29- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि चूँकि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 34(h) में प्राविधान है कि Recommended to any Department of the Government of the State or any authority or body under that Government at the district level to take such measures as are necessary in its opinion," के दृष्टिगत भविष्य में उपरोक्तानुसार वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत मानव/प्राकृतिकजनित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जन धन की क्षति को बचाने के लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपरोक्त प्रावधान में अपनी अनुशंसा आवश्यकतानुसार दृष्टिगत रखते हुए कर सकती है।

30- उपरोक्तानुसार वर्णित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश, विभिन्न उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/कार्यवृत्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में विहित प्राविधानों, उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के प्राविधानों, नौएडा/ग्रेटर नौएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन, 2010 में उल्लिखित नियमों के आलोक में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह मत अवधारित करता है कि जनपद–गौतमबुद्धनगर में नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यीडा के अधिसूचित क्षेत्र में आपदाओं की पुनरावृत्ति को रोकने एवं डूब क्षेत्र में अन्धाधुन्ध प्लाटिंग/कॉलोनाईजेशन के फलस्वरूप अनवरत हो रहे मानव जनित अवैध/अनधिकृत निर्माणों के कारण भविष्य में मानवजनित कारणों से प्राकृतिक आपदाओं की सम्भावना को समाप्त करने एवं जन–धन की क्षति को बचाने की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में अब यह आवश्यक हो गया है कि मानव जनित कारणों से होने वाली आपदा से जनसामान्य के जीवन को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, में उपरोक्तानुसार उल्लिखित प्राविधानों के आलोक में त्वरित कार्यवाही की जाए। अतएव इस हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर मानव जनित आपदाओं के कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल स्थितियों की सम्भावना को समाप्त करने एवं जनसामान्य के जीवन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से निम्नवत निर्णय लेता है:–

ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वर्णित प्राविधानों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भविष्य में मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं से जन धन की क्षति को बचाने के लिए अवैध एवं अनधिकृत तरीके से किये जा रहे भवनों के निर्माण/ कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग को नियंत्रित करने एवं विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के द्वारा अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

B. जनपद–गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत तथा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र (**Flood Plain Zone**) में मानव जनित कारणों के फलस्वरूप आपदाओं से जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, की धारा–30 व धारा–34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी सम्पत्ति के क्रय/विक्रय विलेख को संबंधित उपनिबन्धक के समक्ष निबन्धन हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व निम्नवत अनिवार्य उपबन्ध स्थापित किया जाये –

(i) जनपद–गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–2(घ), 6 (छ), 9(1) एवं 10 में दिये गये प्राविधानों और नौएडा/ग्रेटर नौएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया बिल्डिंग, रेगूलेशन–2010 के नियम 20.2, 20.3 एवं 24.1 में उल्लिखित नियमों के आलोक में किसी भी औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/आवासीय (भवन/फ्लैट) के क्रय–विक्रय विलेखों के पंजीकरण हेतु उपनिबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करने के समय यह अनिवार्य होगा कि विलेख में भवन की ऊँचाई और तलों की संख्या का अंकन कराया जाय। ऐसे औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/आवासीय (भवन/फ्लैट) के विक्रय विलेख, जो किसी भवन में स्थित हैं और उनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अथवा चार तल से ऊपर हैं, तो ऐसी दशा में नौएडा/ग्रेटर नौएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया बिल्डिंग, रेगूलेशन–2010 के नियम 20.2, 20.3 एवं 24.1 में उल्लिखित नियमों के आलोक में प्राधिकरणों की अनुमति/भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित अभिलेखों के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही संबंधित उपनिबन्धकों द्वारा किसी भी औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/आवासीय (भवन/फ्लैट) के क्रय–विक्रय विलेखों के पंजीकरण की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जाए। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/आवासीय (भवन/फ्लैट) जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अथवा 4 से अधिक तल है और प्राधिकरणों की अनुमति/भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में सम्बन्धित अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में ऐसे औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/आवासीय (भवन/फ्लैट) के किसी भी तल के क्रय–विक्रय विलेख के पंजीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित उप निबन्धक द्वारा नहीं की जायेगी, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की मानव जनित कारणों के फलस्वरूप आपदाओं से होने वाली जन धन की क्षति के उत्पन्न होने की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।

(ii) जनपद–गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब–क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/आवासीय (भवन/ फ्लैट/आवासीय भूखण्ड) सम्पत्ति के क्रय–विक्रय विलेखों के पंजीकरण की कार्यवाही उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–2(घ), 6 (छ), 9(1) एवं 10 में दिये गये प्राविधानों और नौएडा/ग्रेटर नौएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया बिल्डिंग, रेगूलेशन–2010 के नियम 20.2, 20.3 एवं 24.1 में उल्लिखित नियमों के आलोक में प्राधिकरणों की अनुमति/भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित अभिलेखों के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित उपनिबन्धक द्वारा पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी, जिससे भविष्य में किसी

भी प्रकार की मानव जनित कारणों के फलस्वरूप आपदाओं से होने वाली जन धन की क्षति के उत्पन्न होने की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।

(iii) जनपद–गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र में हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब–क्षेत्र में कृषि भूमि के क्रय/विक्रय विलेख के निबंधन के पूर्व उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–2(घ), 6 (छ), 9(1) एवं 10 में दिये गये प्राविधानों और नौएडा/ग्रेटर नौएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया बिल्डिंग रेगूलेशन–2010 के नियम 20.2, 20.3 एवं 24.1 में उल्लिखित नियमों के आलोक में सम्बन्धित प्राधिकरणों से इस आशय का प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्राप्त की जायेगी कि प्रस्नगत क्रय की जाने वाली कृषि भूमि पर कोई अवैध/अनधिकृत निर्माण नहीं है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की मानव जनित कारणों के फलस्वरूप आपदाओं से होने वाली जन धन की क्षति के उत्पन्न होने की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या–नौएडा/भूलेख/2020/3411, दिनांक 25.09.2020 द्वारा अन्य बिन्दुओं के साथ प्रस्तर–30 के बिन्दु–2, जो बिन्दु B से प्रदर्शित है, के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की गयी है।

उक्त बैठक में सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तर–30 के बिन्दु संख्या–A व B में वर्णित बिन्दुओं का अनुमोदन किया गया साथ ही जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तर–30 के बिन्दु संख्या–A व B में उल्लिखित एवं प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बिन्दुओं के दृष्टिगत आदेश/निर्देश निर्गत करने के लिए अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/प्रभारी अधिकारी–आपदा, जनपद गौतमबुद्धनगर को अधिकृत किया जाता है।

(चरनजीत सिंह)
जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), गौतमबुद्धनगर/ विशेष आमन्त्रित सदस्य

(नीरज शर्मा)
जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी), गौतमबुद्धनगर/ विशेष आमन्त्रित सदस्य

(अरुण कुमार सिंह)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

(एस.के. त्रिपाठी)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धक, प्रथम/द्वितीय, गौतमबुद्धनगर/ विशेष आमन्त्रित सदस्य

(वी0के0 पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड, आगरा नहर ओखला, नई दिल्ली/ विशेष आमन्त्रित सदस्य

(नीरज कुमार)
अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद/ विशेष आमन्त्रित सदस्य

(विमल कुमार)
अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, गौतमबुद्धनगर।

(डा0 दीपक ओहरी)
मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर पदेन सदस्य, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

(एम0एन0 उपाध्याय)
अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/पदेन सदस्य, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

(हरीश चन्दर)
प्रतिनिधि पुलिस आयुक्त डी0सी0पी0 (सेन्ट्रल) गौतमबुद्धनगर।

(सुहास एल.वाई.)
जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण